राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता),जैसलमेर

क्रमांक : आ.प्र.एवं सहा./चारा डिपों/2078/ 2866

दिनांकः– 07.06.2023

प्रेषित :–

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– सूखा संवत् 2078 की अवधि में चारा डिपों के लंबित दायित्वों हेतु राशि रू. 65,09,292/– का बजट आंवटन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी पोकरण से सूखा संवत् 2078 की अवधि के चारा डिपों के बिल देरी से प्राप्त होंने के कारण दिनांक 31.03.2023 को प्राप्त हुए बिलों का वित्तीय वर्ष 2022–23 में निस्तारण नहीं किया जा सका। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	संस्था का नाम	राशि	कारण
01.	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. भैंसड़ा	64,91,087	उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा बिल विलंब से प्रस्तुत करने के कारण दिनांक 31.03.2023 तक भुगतान की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो सकी।
02.	ग्राम पंचायत खेतोलाई	18,205	उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा बिल विलंब से प्रस्तुत करने के कारण दिनांक 31.03.2023 तक भुगतान की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो सकी।
	योग :–	**65,09,292**	

उपरोक्त बिलों को समय पर प्रस्तुत नहीं करने कारण बजट लैप्स हो गया था इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी पोकरण के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हैं। (प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्तानुसार राशि रूपये 65,09,292/– का बजट आवंटन करने का श्रम करावें ताकि चारा डिपों के लंबित बिलों का भुगतान किया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर,
जैसलमेर

Signature valid
Digitally signed by Tina Dabi
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2023.06.07 19:54:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3986860

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

क्रमांकःकार्मिक / 2023 / 387

दिनांकः 28/04/23

ज्ञापन

श्री प्रभजोतसिंह गिल, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम–17 राजस्थान सेवा नियम के अर्न्तगत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित अभिकथन जिनके आधार पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया है संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है और जिन अभिकथनों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किये गये है वे संलग्न किये गये है।

श्री प्रभजोतसिंह गिल, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण को सूचित किया जाता है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति दिवस से 15 दिवस की अवधि में लिखित कथन (Written Statement) प्रस्तुत करें।

श्री प्रभजोतसिंह गिल, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अपने बचाव पक्ष की तैयारी के लिये किसी भी सुसंगत राजकीय अभिलेख का निरीक्षण करना चाहें अथवा उसमें से उद्धरण लेना चाहें तो उन अभिलेखों का निरीक्षण जिला कलक्टर कार्यालय, जैसलमेर में उक्त वर्णित 15 दिवस की अवधि में ही किसी भी कार्य दिवस को पूर्वान्ह में उपस्थित होकर कर सकते है। किन्तु यह ध्यान में रहे कि यदि निम्न हस्ताक्षरकर्ता की राय में उक्त अभिलेख तत्प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं है अथवा ऐसे अभिलेखों को दिखाने की अनुज्ञा देना लोक हित के विरूद्ध है, तो ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने अथवा उनमें से उद्धरण लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

श्री प्रभजोतसिंह गिल, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उक्त निर्धारित समय अवधि में उनका लिखित कथन प्राप्त नहीं हुआ तो उनके विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

श्री प्रभजोतसिंह गिल, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण का ध्यान राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम, 1971 के नियम–24 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्रावधान उल्लेखित है कि कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपने सरकारी मामले में अपने हित को बढ़ावा देने के लिये किसी उच्च प्राधिकारी पर दबाब डालने के लिए कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं लायेगा, न लाने की (ऐसी) कोशिश करेगा। अतः इन प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करें और इस प्रकरण के सन्दर्भ में कोई अभ्यावेदन आपके संबंध में अन्य व्यक्ति का प्राप्त हुआ तो यह उपधारण की जावेगी कि इस अभ्यावेदन की आपको जानकारी है और आपकी पहल पर ही यह प्रस्तुत हुआ है। अतः आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम, 1971 के नियम–24 के उल्लंधन के सन्दर्भ में कार्यवाही की जावेगी।

इस ज्ञापन के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति भिजवावें।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

श्री प्रभजोतसिंह गिल,
उपखण्ड अधिकारी,
पोकरण

आरोप/आरोप विवरण पत्र विरूद्ध श्री प्रभजोतसिंह गिल, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण अन्तर्गत नियम 17 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958

आरोप विवरण–पत्र

श्री प्रभजोतसिंह गिल, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के पद पर पदस्थापित होकर कार्यरत है। अभाव संवत् 2078 में संचालित पशु संरक्षण गतिविधियों के विपत्र आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ1(1) आ.प्र.एवं सहा./सामा./2019/3737 दिनांक 20.03.2020 के अनुसार जिस वर्ष में गतिविधियां संचालित की गई हैं उस वर्ष की 31 दिसम्बर तक प्रभावितों को राहत प्रदान करने की अंतिम भुगतान तिथि (cut off date) निर्धारित की गई।

इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 1757–65 दिनांक 26.05.2022, 2330–34 दिनांक 12.07.2022, 2474–88 दिनांक 25.07.2022, 2739–47 दिनांक 18.08.2022, 1180–82 दिनांक 01.02.2023 एवं अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 2997 दिनांक 14.09.2022 व 1553–55 दिनांक 14.03.2023 द्वारा पशु संरक्षण गतिविधियों के विपत्र समय पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने बाबत् निर्देशित किया गया इसके पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक क्रमांक/संस्थापन/2023/1776 दिनांक 21.03.2023 द्वारा कारण बताओं नोटिस अन्तर्गत सीसीए नियम 17 जारी कर पशु संरक्षण गतिविधियों के विपत्र इस कार्यालय में भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया। जिसका प्रत्युत्तर भी अप्राप्त हैं।

लेकिन उपरोक्तानुसार समय समय पर पत्र/अर्द्धशासकीय पत्र जारी करने के बावजूद भी आपके द्वारा समय पर भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। मार्च के अंतिम दिनों में दिनांक 27.03.2023 को एक साथ पशु संरक्षण गतिविधियों के विपत्र एक साथ प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण कार्य में अव्यवस्था उत्पन्न हुई तथा 31 मार्च 2023 तक चारा डिपों के विपत्रों की राशि रूपये 65.09 लाख रूपये के विपत्र पारित नहीं हो सके जिससे संबंधित ग्राम पंचायत/जीएसएस को भुगतान नहीं किया जा सका एवं बजट व्यपगत (Lapse) हो गया। जो आपके द्वारा आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्रांक एफ1(1) आ.प्र.एवं सहा./सामा./2019/3737 दिनांक 20.03.2020 की स्पष्ट अवहेलना हैं। जो आपका उपरोक्त कृत्य कार्य के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है तथा राजकीय नियमों की अवहेलना एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पालना नहीं करने की श्रेणी में आता है।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

क्रमाकः कार्मिक / 2023 / 2053 दिनांकः 15/05/23

—: आदेश ::—

इस कार्यालय के ज्ञापन कमांक समसंख्यक 387 दिनांक 28.04.2023 द्वारा श्री प्रभजोत सिंह गिल, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम, 1958 के नियम नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित किया गया कि अभाव संवत् 2078 में संचालित पशु संरक्षण गतिविधियों के विपत्र आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्र कमांक एफ1(1) आ.प्र.एवं सहा. / सामा. / 2019 / 3737 दिनांक 20.03.2020 के अनुसार जिस वर्ष में गतिविधियां संचालित की गई हैं उस वर्ष की 31 दिसम्बर तक प्रभावितों को राहत प्रदान करने की अंतिम भुगतान तिथि (cut off date) निर्धारित की गई। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 1757–65 दिनांक 26.05.2022, 2330–34 दिनांक 12.07.2022, 2474–88 दिनांक 25.07.2022, 2739–47 दिनांक 18.08.2022, 1180–82 दिनांक 01.02.2023 एवं अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 2997 दिनांक 14.09.2022 व 1553–55 दिनांक 14.03.2023 द्वारा पशु संरक्षण गतिविधियों के विपत्र समय पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने बाबत् निर्देशित किया गया इसके पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक कमांक / संस्थापन / 2023 / 1776 दिनांक 21.03.2023 द्वारा कारण बताओं नोटिस अन्तर्गत सीसीए नियम 17 जारी कर पशु संरक्षण गतिविधियों के विपत्र इस कार्यालय में भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया। जिसका प्रत्युत्तर भी अप्राप्त हैं।

उपरोक्तानुसार समय समय पर पत्र / अर्द्धशासकीय पत्र जारी करने के बावजूद भी समय पर भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। मार्च के अंतिम दिनों में दिनांक 27.03.2023 को पशु संरक्षण गतिविधियों के विपत्र एक साथ प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण कार्य में अव्यवस्था उत्पन्न हुई तथा 31 मार्च 2023 तक चारा डिपों के विपत्रों की राशि रूपये 65.09 लाख रूपये के विपत्र पारित नहीं हो सके जिससे संबंधित ग्राम पंचायत / जीएसएस को भुगतान नहीं किया जा सका एवं बजट व्यपगत (Lapse) हो गया। आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्रांक एफ1(1) आ.प्र.एवं सहा. / सामा. / 2019 / 3737 दिनांक 20.03.2020 की स्पष्ट अवहेलना होने से उक्त कृत्य पदीय दायित्व निर्वहन में विफलता, कर्तव्यहीनता, उतरदायित्वहीनता, उच्चाधिकारियो के आदेशो की अवहेलना, धोर लापरवाही एवं राजकीय हित के विरूद्ध है जो उनका दुराचरण है। उक्त ज्ञापन का श्री प्रभजोत सिंह गिल से 15 दिवस में स्पष्टीकरण अपेक्षित किया गया।

उक्त श्री प्रभजोत सिंह गिल द्वारा उक्त ज्ञापन द्वारा आरोपित आरोप के स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। अतः श्री प्रभजोत सिंह गिल, उपखण्ड अधिकारी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतएवं राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम, 1958 के नियम 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रभजोत सिंह गिल, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण की 3 वेतन वृद्धिया असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

क्रमाकःसम / 2023 / 2054-58 दिनांकः 15/05/2023

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क), राजस्थान, जयपुर
2.उपखण्ड अधिकारी, पोकरण
3.संबंधित श्री प्रभजोत सिंह गिल, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण
4.निजी पत्रावली श्री प्रभजोत सिंह गिल, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण
5.वरिष्ठ निजी सहायक जिला कलक्टर।

जिला कलक्टर
जैसलमेर